सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 923 राँची, गुरुवार, 9 अग्रहायण, 1939 (श०)

30 नवम्बर, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

10 अक्टूबर, 2014

विषयः- जन वितरण प्रणाली दुकानों का कमीशन रू. 45/- (रूपये पैंतालीस) प्रति क्विंटल निर्धारित करने एवं ए.पी.एल. योजना के अन्तर्गत कमीशन का भार लाभुक परिवारों द्वारा वहन करने के संबंध में ।

संख्या- 4/खा.आ./अन्त्यो. परि.सह.हथा.77/2004 – 3131-- राज्य सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण की निम्नलिखित योजनाएँ चलायी जा रही हैं:-

(i) मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (बी॰पी॰एल॰),

(ii) अन्त्योदय अन्न योजना,

(iii) अतिरिक्त बी॰पी॰एल॰ योजना,

(iv) ए॰पी॰एल॰ योजना,

(v) अन्नपूर्णा योजना ।

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को 23,94,000.00 बी॰पी॰एल॰ (अन्त्योदय सहित) परिवारों के लिए 83791 टन खाद्यान्न (चावल) प्रतिमाह एवं 19,62,000.00 ए॰पी॰एल॰ परिवारों के लिये 14715 टन गेहूँ एवं 14715 टन चावल प्रतिमाह आवंटित किया जाता है । अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत राज्य में 54939 लाभूकों के लिये 549.39 टन खाद्यान्न (चावल) प्रतिमाह आवंटित किया जाता है । राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 11,44,860 अतिरिक्त बी॰पी॰एल॰ परिवारों को भी राज्य सरकार द्वारा 35 किलोग्राम चावल प्रति परिवार प्रतिमाह रू॰ 1/- (एक रूपया) प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जाता है, जिसके लिये खाद्यान्न की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जा रहे अतिरिक्त/तदर्थ खाद्यान्न आवंटन से की जाती है । इन अतिरिक्त बी॰पी॰एल॰ परिवारों के लिये खाद्यान्न की आवश्यकता 40,070 टन प्रतिमाह है । इसके अतिरिक्त राज्य के सभी बी॰पी॰एल॰ (अन्त्योदय एवं अतिरिक्त बी॰पी॰एल॰ सहित) परिवारों के लिये फ्री फ्लो रिफाईन्ड आयोडीनयुक्त नमक का भी वितरण किया जाता है ।

2. उक्त योजनाओं (अन्नपूर्णा योजना छोड़कर) के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं नमक का वितरण राज्य में अवस्थित 22726 जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से किया जाता है । राज्य में नयी दुकानों की अनुज्ञप्ति मात्र महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को दी जाती है । जन वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिये यह आवश्यक है कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाया जाय । वर्तमान में जन वितरण प्रणाली की दुकानों को पर्याप्त कमीशन न रहने के कारण दुकानें आर्थिक तौर पर लाभप्रद नहीं है । राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 1580, दिनांक 6 अगस्त, 2009, द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकानों का कमीशन दो गुणा किया गया था, जो निम्नवत् है:-

क्रमांक	**योजना का नाम**	**दर प्रति क्विंटल रूपये में**
1	अन्त्योदय (चावल)	26.10
2	बी॰पी॰एल॰ (चावल)	26.10
3	ए॰पी॰एल॰ (चावल)	55.40
4	ए॰पी॰एल॰ (गेंहू)	33.50

राज्य में लक्षित जन वितरण के अन्तर्गत 23.94 लाख बी॰पी॰एल॰ (अन्त्योदय सहित) एवं 19.62 लाख ए॰पी॰एल॰ परिवारों के लिये प्रतिमाह 14715 टन गेहूँ एवं 14715 टन चावल का आवंटन दिया जाता है । इस प्रकार एक दुकान को औसत 6.47 क्विंटल गेहूँ एवं 36.87 क्विंटल

चावल प्रतिमाह आवंटित किया जाता है, जिसका मासिक कमीशन रूपये 1538 होता है । इसके अतिरिक्त दुकानदार के पास खाद्यान्न का प्रति क्विंटल दो खाली बोरा रह जाता है, जिसका अनुमानित मूल्य रूपये 30 (दो नये बोरे का मूल्य रूपये 75 का 40% मानते हुये) होगा । यदि बोरा की कीमत सम्मिलित किया जाय तो दुकान का कुल अनुमानित कमीशन रूपये 3032.51 प्रतिमाह होगा, जिसे आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं कहा जा सकता है । दुकानदार को साप्ताहिक बन्दी एवं अवकाश को छोड़कर प्रत्येक दिन दुकान खुली रखनी होती है ।

4. जन वितरण प्रणाली की दुकानों को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने के लिये आवश्यक है कि कमीशन में वृद्धि की जाय । भारत सरकार द्वारा इसके संबंध में राज्य सरकार से कई बार अनुरोध किया गया है । इस परिपे्रक्ष्य में विभाग का प्रस्ताव है कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों के कमीशन में बढ़ोतरी की जाय, ताकि दुकान चलाना दुकानदार के लिये व्यवहारिक तौर पर लाभप्रद हो सके । भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में जन वितरण प्रणाली दुकानों के कमीशन की सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ में रूपये 30 प्रति क्विंटल, बिहार में रूपये 40 प्रति क्विंटल, तमिलनाडु एवं गुजरात में रूपये 45 प्रति क्विंटल, दिल्ली में रूपये 35 प्रति क्विंटल महाराष्ट्र में रूपये 50 प्रति क्वींटल एवं आन्धप्रदेश में रूपये 25 प्रति क्वींटल की दर से कमीशन निर्धारित है ।

5. विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है कि खाद्यान्न वितरण की सभी योजनाओं, तथा नमक इत्यादि के वितरण पर एक समान रूपये 45 प्रति क्विंटल की दर से जन वितरण प्रणाली की दुकानों का कमीशन निर्धारित किया जाय । इसके अतिरिक्त दुकानदार के पास रूपये 30 प्रति क्विंटल के मूल्य के दो खाली बोरा उपलब्ध होगा तथा दुकानदार का वास्तविक कमीशन रूपये 75 प्रति क्विंटल होगा । इस दर से बी॰पी॰एल॰ (अन्त्योदय सहित) एवं ए॰पी॰एल॰ योजनाओं के लिये एक दुकान का मासिक औसत कमीशन रूपये 3736.47 हो जायेगा । यदि अतिरिक्त बी॰पी॰एल॰ योजना के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न की मात्रा को सम्मिलित किया जाय तो बी॰पी॰एल॰ योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, ए॰पी॰एल॰ योजना एवं अतिरिक्त बी॰पी॰एल॰ योजना के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न की मात्रा के लिये एक दुकान का मासिक औसत कमीशन बोरा का मूल्य सहित वर्तमान में रूपये 4021.66 है, जो बढ़कर रूपये 5058.86 हो जायेगा । इस प्रकार खाद्यान्न वितरण की सभी योजनाओं पर रूपये 45 प्रति क्विंटल की दर से कमीशन निर्धारित करने से प्रति दुकान औसत रूपये 1000 से अधिक कमीशन में वृद्धि होगी ।

6. वर्तमान में ए॰पी॰एल॰ योजनान्तर्गत दुकानदार का कमीशन का 50% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । ए॰पी॰एल॰ योजनान्तर्गत दुकान का कमीशन लाभूको द्वारा वहन किया जायेगा। ऐसा करने से राज्य सरकार के व्यय में रूपये 7,84,89,810/- (रूपये सात करोड़ चैरासी

लाख नवासी हजार आठ सौ दस) की कमी आयेगी । दूसरी तरफ बी॰पी॰एल॰, अन्त्योदय अन्न योजना एवं अतिरिक्त बी॰पी॰एल॰ योजना के अन्तर्गत रूपये 28,28,57,088/- (रूपये अठाईस करोड़ अठाईस लाख सन्तावन हजार अठासी) का अतिरिक्त भार राज्य सरकार को पड़ेगा । इस प्रकार राज्य सरकार को शुद्ध अतिरिक्त व्यय कुल रूपये 20,43,67,278/- (रूपये बीस करोड़ तैंतालीस लाख सड़सठ हजार दो सौ अठहत्तर) का व्यय एक वर्ष के दौरान वहन करना पडेगा ।

7. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 से राज्य में जन वितरण प्रणाली की दुकानों का कमीशन खाद्यान्न वितरण की सभी योजनाओं एवं नमक वितरण योजना के अन्तर्गत रूपये 45 प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाता है एवं ए॰पी॰एल॰ योजनान्तर्गत कमीशन का भार वहन लाभुक परिवारों द्वारा किया जायेगा ।

8. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

डॉ॰ प्रदीप कुमार,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 923-50